अज अदालत उपखण्ड अधिकारी ...

खेमराज वगैरह बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा 88-89 मिसल नम्बर 8/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/1/19	वाद वादी/वादनी खेमराज की और से अभिभाषक श्री B.M. Malav द्वारा उपस्थिति होकर पेश किया । रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया । वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28-01-19 को पेश हो।	
28.1.19	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित । पत्रावलियां अधिक होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी । पत्रावली पूर्ववत दिनांक 20.2.19 को पेश हो ।	
20-02-19	पत्रावली पेश हुई, वकील वादीगण एवं स्वयं वादीगण तथा विवादित आराजी का सहखातेदार लोकेश कुमार उपस्थित। प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। विवादित आराजी के सहखातेदार लोकेश कुमार की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। शपथ पत्र में सहखातेदार द्वारा आलेखित किया गया है कि खेमराज व योगेश का दिलखुश व दीपू नाम दर्ज चला आ रहा है। जबकि इनका वास्तविक नाम खेमराज व योगेश कुमार है। इनका नाम खेमराज व योगेश किया जावें मुझे कोई आपत्ति नहीं है तथा साथ ही नाबालिग से बालिग भी किया जावें क्योकि बालिग हो गये है। जवाब सरकार का अवलोकन किया गया। जवाब सरकार में कथन किये है कि ग्राम करीर का खेडा के खाता के ख0नं0 95 पर खेमराज योगेश कुमार पुत्र प्रहलाद जाति कुम्हार दर्ज है, जबकि ग्राम करीर का खेडा के खाता सं0 129 व 130 में अन्य खातेदारान के साथ दिलखुश, दीपू दर्ज है। ग्राम पंचायत भौंरा द्वारा जारी प्रमाण पत्रों में खेमराज व दिलखुश तथा योगेश व	खेमराज योगेश प्रजापत लोकेशकुमार

दीपू एक ही व्यक्ति होना बताया है तथा खेमराज ने साक्ष्य में अंक तालिका, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक की छायाप्रति तथा योगेश कुमार ने आधार कार्ड, बैंक पास बुक, सेकण्डरी की अंक तालिका, पेन कार्ड व मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की है। परन्तु वादीगण ने प्रस्तुत वाद में यह नहीं बताया है कि वादीगण के पृथक–पृथक नाम खातों में किस प्रकार दर्ज किये गये अथवा किस कारण से दर्ज किये गये।

वकील वादीगण को सुना गया तथा जवाब सरकार एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचारण किया गया। विवादित आराजी वाके ग्राम करीर का खेडा तहसील दीगोद स्थित खाता नं0 129 व 130 में वादीगण का नाम क्रमशः दिलखुश व दीपू दर्ज है, जबकि ग्राम करीर का खेडा स्थित खाता नं0 15 में वादीगण का नाम खेमराज व योगेश कुमार दर्ज है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य छायाप्रति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंकतालिकाएं, छायाप्रति आधार कार्ड, छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र, छायाप्रति पेनकार्ड, छायाप्रति राशन कार्ड में वादीगण नाम क्रमशः खेमराज व योगेश कुमार ही अंकित है। ग्राम पंचायत भौंरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 04.01.2019 के अनुसार खेमराज उर्फ दिलखुश पुत्र प्रहलाद एवं योगेश कुमार उर्फ दीपू पुत्र प्रहलाद जाति कुम्हार निवासी करीर का खेडा तहसील दीगोद को दोनों नामो से जाना जाता है। वादी नं0 1 खेमराज की जन्म दिनांक मुताबिक अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अनुसार 16.01.1991 एवं वादी नं0 2 योगेश कुमार की जन्म दिनांक 20.03.1993 प्रमाणित होती है। अंक तालिका में अंकित जन्म दिनांक के अनुसार वादीगण 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है तथा बालिग हो चुके है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में नाबालिग ही दर्ज चले आ रहे है। जिससे वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में बालिग दर्ज किया जाना एवं ग्राम करीर का खेडा स्थित खाता नं0 129 व 130 में अंकित नाम दिलखुश के स्थान पर खेमराज एवं दीपू के स्थान पर योगेश कुमार दर्ज किया जाना आवश्यक है। वैसे भी विवादित आराजी के सहखातेदार लोकेश पुत्र बजरंग लाल नें शपथ पत्र प्रस्तुत कर वादीगण का नाम दुरूस्त किये जानें की सहमति प्रकट की है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं सहखातेदार लोकेश कुमार की सहमति के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाके ग्राम करीर का खेडा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 97 रकबा 0.20 हे0, ख0नं0 98 रकबा 1.39 हे0, ख0नं0 130 रकबा 0.07 हे0, ख0नं0 434/209 रकबा 0.34 हे0 कुल किता 4 रकबा 2.00 हे0 तथा ख0नं0 96 रकबा 0.45 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम दिलखुश के स्थान पर खेमराज उर्फ दिलखुश पुत्र प्रहलाद एवं दीपू के स्थान पर योगेश कुमार उर्फ दीपू पुत्र प्रहलाद दर्ज किया जावें एवं वादीगण को नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज किया जावें। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनॉक 20/02/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । (कैलाश चन्द शर्मा) उपखण्ड अधिकारी, दीगोद	